



छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग

होम

श्रमायुक्त

भवन एवं अन्य
संरचना

असंगठित कर्मकार
मंडल

श्रम कल्याण मंडल

राज्य कर्मचारी बीमा
सेवाए

औद्योगिक न्यायलय

इज ऑफ़ इंडग बिज़नेस

श्रम कल्याण मंडल सेवायें

- ▶ संक्षिप्त विवरण
- ▶ नियम एवं शर्तें
- ▶ स्थापना पंजीयन हेतु आवेदन पत्र
- ▶ स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी
- ▶ केंद्र का नाम
- ▶ योजना का संशोधन अधिनियम -2017
- ▶ योजना
- ▶ श्रम कल्याण मंडल अधिनियम (पुस्तक)
- ▶ श्रम कल्याण मंडल संरचना
- ▶ पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी का विवरण
- ▶ संपर्क करें

श्रम कल्याण मंडल नियम एवं शर्तें

- 1) ऐसी स्थापना जहाँ 9 से अधिक हितग्राही होने पर हितग्राही को श्रम कल्याण मंडल के हितग्राही होने की पात्रता होती है
- 2) प्रबंधन प्रवर्ग के श्रमिकों को छोड़कर
- 3) अभिदाय राशि - वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई में संग्रहित की जाती है अ) प्रत्येक श्रमिक 15/- रूपये ब) नियोजक द्वारा 45/ रूपये न्यूनतम 1500 रूपये
- 4) नियोजक द्वारा देय अभिदाय के बराबर शासन द्वारा अंशदान देय होगा
- 5) हितलाभ हेतु आवेदन की प्रक्रिया:- आवेदन श्रम कल्याण मण्डल कार्यालय में आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर नियोक्ता के माध्यम से समयावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

Visitor Counter : 1871706

Designed and Maintained by [National Informatics Centre, Chhattisgarh](#)
Disclaimer Copyright © 2015. All Rights reserved.

